गोपनीय/समयबद्ध

संख्या- 48/989/84-1-13-01 प्रो0/2007

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 08 अक्टूबर, 2013

विषय- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग सेवा में सहायक नियंत्रक वर्ग-2 के रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या-1674/निविमावि-अधि-1(प्रो0)/12-13, दिनॉक 19 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति दिनॉक 13-9-2013 के फलस्वरूप प्रोन्नति हेतु चयनित वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को सहायक नियंत्रक वर्ग-2, विधिक माप विज्ञान के पद पर (वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 के ग्रेड पे रू0 4800) में प्रोन्नति करते हुए श्री राम सुभग प्रसाद को नौगढ से आजमगढ, श्री आर0पी0 सिंह को मरेकम्पनी कानपुर से कानपुर संभाग तथा श्री ओंकार वर्मा को सीतापुर से लखनऊ संभाग में पदोन्नति कर नवीन तैनाती दी गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ निरीक्षक /सहायक नियंत्रक वर्ग-2 समूह ख के कार्मिक हैं। वर्तमान स्थानान्तरण नीति 2013-14 के प्रस्तर -9 में दी गई व्यवस्था के अनुसार समूह ख व ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण/तैनाती सामान्य स्थानान्तरण सत्र समाप्ति के उपरान्त मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से तथा समूह क के कार्मिकों के संबंध में उक्त कार्यवाही मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोंपरान्त ही किये जाने का प्राविधान हैं। आप द्वारा वरिष्ठ निरीक्षक पद से सहायक नियंत्रक वर्ग-2 के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों की नवीन तैनाती अन्यत्र जनपद में अपने स्तर से बिना उक्तानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त की गई है, जो प्रभावी स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों के प्रतिकूल है। अत: अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में शासन को यह अवगत कराया जाय कि शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने में आपको क्या कठिनाई थी? स्थिति सुस्पष्ट की जाय उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों की पोस्टिंग प्रोफाइल, सेवा विवरण, गृह जनपद एवं सहायक नियंत्रक वर्ग-2 की रिक्तियों का विवरण शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in